



बुलन्दशहर-खुर्जा विकास प्राधिकरण



द्वारा विकसित

कालिन्दी कुन्ज आवासीय योजना के अन्तर्गत



कालिन्दी टॉवर- 2BHK एवं 3BHK फ्लैट्स

Project Registration Number-UPRERAPRJ368832/10/2025



कालिन्दी टॉवर के अंतर्गत

रेरा पंजीकृत 70 आवासीय भवनों की योजना हेतु

पंजीकरण प्रारम्भ

20.04.2026 से


पंजीकरण पुस्तिका

पंजीकरण शुल्क : ₹0 1000/-

पंजीकरण समाप्त

20.05.2026 तक

स्मार्ट लोकेशन स्मार्ट लाइफस्टाइल




- ❖ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) से मात्र लगभग 30 मिनट की सुविधाजनक दूरी
- ❖ GT रोड एवं अनोखी दुनिया पार्क से केवल 2 मिनट की दूरी
- ❖ बाज़ार, स्कूल एवं अस्पतालों के नज़दीक उत्कृष्ट कनेक्टिविटी
- ❖ चौड़ी सड़कें, पार्क, स्ट्रीट लाइट एवं सुचारु ड्रेनेज जैसी सभी मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध
- ❖ आधुनिक किचन लेआउट एवं उपयोगी यूटिलिटी स्पेस के साथ पर्याप्त पार्किंग सुविधा (ग्राउंड व स्टिल्ट)
- ❖ सुव्यवस्थित लेआउट, संतुलित रूम साइज तथा भूकंप-रोधी RCC संरचना, मानक निर्माण गुणवत्ता के साथ
- ❖ प्राधिकरण की विश्वसनीय आवासीय योजना के अंतर्गत विकसित परियोजना
- ❖ पारदर्शी एवं सरल आवंटन प्रक्रिया, आसान किस्तों में भुगतान की सुविधा



- ❖ Approximately **30 minutes** from **Noida International Airport (Jewar)**
- ❖ Just **2 minutes** away from **GT Road and Anokhi Duniya Park**
- ❖ **Excellent connectivity** with close proximity to markets, schools, and hospitals
- ❖ **Wide internal roads, landscaped parks, street lighting, and proper drainage facilities**
- ❖ **Modern kitchen layout** with functional utility space and **ample parking** (ground & stilt)
- ❖ **Well-planned layout**, balanced room sizes, **earthquake-resistant RCC structure**, and standard construction quality
- ❖ Developed under a **trusted residential scheme by the authority**
- ❖ **Transparent and simple allotment process** with easy instalment options

Typical Floor Plan



Unit	No. of Units	Type of Unit
2BHK	14	Type-I
2BHK	14	Type-II
3BHK	14	Type-I
3BHK	28	Type-II
Total	70	

Flat	Type	Carpet Area	Total Cost
2BHK	I	77.02 Sqm.	Rs 72,75,000

3




Flat	Type	Carpet Area	Total Cost
2BHK	II	72.38 Sqm.	Rs 68,37,000




2 BHK (TYPE B)

Flat	Type	Carpet Area	Total Cost
3BHK	I	97.13 Sqm.	Rs 91,75,000




3 BHK (TYPE A)

Flat	Type	Carpet Area	Total Cost
3BHK	II	92.12 Sqm.	Rs 87,01,000




ENTRY

3 BHK (TYPE B)



Basement Floor Plan



STILT FLOOR PLAN

Stilt Floor Plan

बुलन्दशहर-खुर्जा विकास प्राधिकरण

बुलन्दशहर-203001 (उ०प्र०)

BULANDBHAHR-KHURJA DEVELOPMENT AUTHORITY

BULANDBHAHR-203001 (U.P.)

1.00	योजना का नाम	1.00	Name of Scheme
	कालिन्दी कुन्ज आवासीय योजना खुर्जा में कालिन्दी टॉवर में 2BHK एवं 3BHK आवासीय भवनों की योजना		Scheme of 2BHK and 3BHK Residential Flats in Kalindi Tower under Kalindi Kunj Housing Scheme Khurja.
2.00	योजना का कोड :	2.00	Scheme Code:
	कालिन्दी टॉवर में आवासीय भवनों की योजना कोड :- KTK		Scheme code for Residential Flats in Kalindi Tower :-KTK
3.00	योजना का विवरण	3.00	Scheme Details
3.10	स्थिति	3.10	Location
	उक्त भवन प्राधिकरण की कालिन्दी कुन्ज आवासीय योजना, जी०टी०रोड, खुर्जा में स्थित है।		The above flats is located in the Authority's Kalindi Kunj Awas Yojna, G.T. Road, Khurja.
3.20	भवनों का प्रकार	3.20	Type of Flats
	इस योजना में 2BHK एवं 3BHK श्रेणी के आवासीय भवन हैं। भवनों का विवरण तालिका-01 में दिया गया है।		This scheme consists of 2BHK and 3BHK residential flats. Details of the flats are given in Table-01.
3.30	भवनों का अनुमानित क्षेत्रफल	3.30	Estimated Area of Flats
	भवनों का क्षेत्रफल विभिन्न प्रकार के फ्लैटों के लिए तालिका संख्या-01 के कॉलम संख्या-06 में दर्शाया गया है।		The area of flats for different types of flats is shown in column 06 of Table No.-01.
3.40	भवनों की अनुमानित संख्या	3.40	Estimated Number of Flats
	भवनों की संख्या का विवरण तालिका संख्या-01 के कॉलम संख्या-05 में दर्शाया गया है। भवनों की संख्या में बिना किसी पूर्व सूचना के परिवर्तन किया जा सकता है।		The details of the number of flats are shown in column 05 of Table No.-01. The number of flats is subject to change without prior notice.
3.50	भवनों का अनुमानित मूल्य	3.50	Estimated Value of Flats
	भवनों का अनुमानित मूल्य तालिका संख्या-01 के कॉलम संख्या-07 में दर्शाया गया है। यह तालिका संख्या 01 के कॉलम संख्या-06 पर दर्शाये गये क्षेत्रफल पर आधारित है।		The estimated value of flats is shown in column number-07 of Table No-01. This is based on the area shown in column number-06 of Table No-01.
4.00	ग्राह्यता	4.00	Eligibility
4.10	आवेदक भारत का नागरिक हो।	4.10	The applicant must be a citizen of India.
4.20	योजना में आवेदन करने की अन्तिम तिथि पर आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम न हो।	4.20	The applicant must not be less than 18 years of age on the last date of applying for the scheme.
4.30	आवेदक या उसके परिवार (परिवार का तात्पर्य आवेदक, उसके पति/पत्नी तथा अवस्यक बच्चों से हैं) के पास प्रश्नगत अभिकरण के विकास क्षेत्र में विकास प्राधिकरण, आवास-विकास, सहकारी समिति आदि द्वारा विकसित कॉलोनियों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत कोई अपना भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिए तथा उत्तर प्रदेश के अन्य किसी नगर अथवा शहरी क्षेत्र में उपरोक्त अभिकरणों द्वारा विकसित कॉलोनियों में एक से अधिक भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिए।	4.30	The applicant or his/her family (family means the applicant, his/her spouse, and any minor children) must not own any plot/flats in the National Capital Region in colonies developed by development authorities, awas vikas, shahkari samiti, etc. in the development area of the agency in question, nor must they own more than one plot/flats in colonies developed by the aforementioned agencies in any other city or urban area of Uttar Pradesh.
4.40	यदि किसी व्यक्ति (व्यक्ति विशेष) अथवा परिवार के आश्रित सदस्यों में से किसी भी एक सदस्य का एक से ज्यादा योजना में आवंटन हो जाता है तो वह व्यक्ति आवंटित सम्पत्ति में से मात्र एक सम्पत्ति को ही रख सकता है, अन्य आवंटित सम्पत्तियों के विरुद्ध जमा धनराशि बिना किसी कटौती के वापिस कर दी जायेगी।	4.40	If any person (particular person) or any of the dependent members of the family is allotted in more than one scheme, then that person can retain only one of the allotted properties, the amount deposited against other allotted properties will be returned without any deduction.
5.00	आवेदन कैसे करें	5.00	How to Apply
5.10	योजना हेतु आवेदन बुलन्दशहर-खुर्जा विकास प्राधिकरण की वेबसाइट www.bkdaup.com में दिये गये लिंक जनहित	5.10	Applications for the scheme will be filled online on the Janhit Portal link (https://janhit.upda.in) given

	पोर्टल (https://janhit.upda.in) पर आनलाईन भरे जायेंगे तथा आवेदन पत्र की कीमत ₹0 1,100/- का भुगतान ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से ही किया जायेगा।		on the website (www.bkdaup.com) of Bulandshahr-Khurja Development Authority and the application fee of Rs. 1,100/- will be paid through the online portal only.
5.20	अपूर्ण अथवा गलत भरे गये आवेदन पत्र बिना किसी सूचना के निरस्त कर दिये जायेंगे।	5.20	Incomplete or incorrectly filled applications will be rejected without notice.
6.00	पंजीकरण राशि एवं पंजीकरण शुल्क	6.00	Registration Amount and Registration Fee
	तालिका-1 के कॉलम संख्या-08, 09 में दर्शायी गयी पंजीकरण शुल्क का भुगतान आवेदन पत्र के साथ ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा करना होगा।		The amount shown in column no. 08, 09 of Table-1 will have to be paid along with the application form through the online portal.
6.10	आवंटन धनराशि	6.10	Allotment Amount
	लॉटरी ड्रॉ के आधार पर सफल आवेदकों को आवंटित भवन के अनुमानित मूल्य की 25 प्रतिशत धनराशि आवंटन-पत्र जारी होने की तिथि से 01 माह की अवधि के अन्दर ऑनलाईन अथवा बैंक ड्राफ्ट द्वारा प्राधिकरण की वेब साईट www.bkdaup.com पर चालान जनरेट कर जमा करानी होगी, जिसमें आवेदन पत्र के साथ जमा की गई पंजीकरण राशि समायोजित कर ली जायेगी।		On the basis of lottery draw, the successful applicants will have to deposit 25 percent of the estimated value of the allotted flats within a period of 01 month from the date of issue of reservation letter, online or by bank draft, by generating challan on the website of the authority www.bkdaup.com , in which the registration amount deposited along with the application form will be adjusted.
6.20	किश्तें	6.20	Installments
	आवंटन पत्र जारी होने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि 20 तिमाही किश्तों में 9.70 प्रतिशत ब्याज सहित देय होगी। ब्याज की गणना रूपये के निकटतम पूर्णांक में होगी। किश्तों से संबंधित धनराशि ऑनलाईन अथवा बैंक ड्राफ्ट द्वारा प्राधिकरण की वेब साईट www.bkdaup.com पर चालान जनरेट कर जमा करानी होगी।		After the allotment letter is issued, the remaining 75% amount will be payable in 20 quarterly installments along with 9.70% interest. The interest will be calculated to the nearest whole number of rupees. The installment amount will have to be deposited online or by bank draft by generating a challan on the Authority's website www.bkdaup.com .
	किश्तों के भुगतान हेतु देय राशि की निर्धारित तिथि के बाद 29 दिन की अनुग्रह अवधि दी जाएगी तथापि यदि देय तिथि को किश्त की किसी भी पिछली धनराशि का भुगतान शेष रहता है तो अग्रिम किश्त पर कोई अनुग्रह अवधि नहीं दी जाएगी तथा भुगतान की मूल देय तिथि से 11.70 प्रतिशत दण्ड ब्याज का भुगतान करना होगा।		A grace period of 29 days will be given for payment of installments after the due date. However, if any previous installment amount remains unpaid on the due date, no grace period will be given on the advance installment and a penal interest of 11.70% will have to be paid from the original due date.
	यदि आवंटी द्वारा किश्तों में भुगतान का चयन किया जाता है परन्तु वह एक मुश्त भुगतान प्लान के अनुसार सम्पत्ति का मूल्य जमा कर देता है तो आवंटी द्वारा पूर्व में चयन किया गया किश्तों में चयन किया गया भुगतान प्लान स्वतः एक मुश्त प्लान में परिवर्तित हो जायेगा।		If the allottee has opted for payment in installments but deposits the property price as per the lump sum payment plan, the installment payment plan previously opted by the allottee will automatically be converted into lump sum plan.
6.40	एक मुश्त भुगतान पर छूट	6.40	Discount on Lump Sum Payment
	एक मुश्त भुगतान का विकल्प देने वाले सफल आवेदकों को अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि को आवंटन पत्र निर्गत होने के पश्चात पूर्ण भुगतान किये जाने को स्थिति में भवन के कुल मूल्य पर निम्नवत् छूट प्रदान की जायेगी :- (1) 45 दिवस में जमा करने पर 6 प्रतिशत की छूट (2) 60 दिवस में जमा करने पर 5 प्रतिशत की छूट (3) 90 दिवस में जमा करने पर 4 प्रतिशत की छूट आवंटी द्वारा जिस दिवस को पूर्ण धनराशि जमा की गयी है, उसे उसी दिवस की छूट अनुमन्त्र होगी। 90 दिन के अन्दर भुगतान न करने पर विलम्ब की दशा में 11.70 प्रतिशत पैनल ब्याज आवंटन तिथि से देय होगा एवं देय छूट समाप्त कर दी जायेगी।		Successful applicants who opt for a lump sum payment will be offered the following discounts on the total value of the flats if the remaining 75 percent of the amount is paid in full after the allotment letter is issued: (1) 6 percent discount if deposited within 45 days (2) 5 percent discount if deposited within 60 days (3) 4 percent discount if deposited within 90 days The discount will be applicable on the day the allottee deposits the full amount. In case of delay in payment within 90 days, 11.70% interest will be payable from the date of allotment and the discount will be forfeited.
6.50	पैनल ब्याज	6.50	Panel Interest

	यदि बुलन्दशहर-खुर्जा विकास प्राधिकरण को देय धनराशि का भुगतान निर्धारित समय सीमा के भीतर नहीं किया जाता है तो 11.70 प्रतिशत की वार्षिक दर से पैनल ब्याज सहित देय राशि का भुगतान करना होगा। पैनल ब्याज की गणना प्रतिदिन के हिसाब से की जाएगी। यदि देय तिथि को अवकाश रहता है तो अगली तिथि देय तिथि मानी जायेगी।		If the amount due to the Bulandshahr-Khurja Development Authority is not paid within the stipulated time limit, the amount due will be paid along with interest at an annual rate of 11.70%. Interest will be calculated on a daily basis. If the due date is a holiday, the next due date will be considered the due date.
6.60	आयकर विभाग के नोटिफिकेशन के अनुसार आवंटी को देय धनराशि का एक प्रतिशत टी0डी0एस0 कटौती कर प्राधिकरण के स्थायी खाता संख्या (PAN) AAALB0116G में जमा कर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा।	6.60	As per the notification of the Income Tax Department, the allottee will have to provide the certificate by deducting one percent TDS from the amount payable and depositing it in the Permanent Account Number (PAN) of the Authority (PAN).
7.00	समर्पण/निरस्तीकरण	7.00	Surrender/Cancellation
7.10	सामान्य परिस्थिति में लॉटरी ड्रॉ से पूर्व पंजीकरण धनराशि वापस नहीं की जायेगी। ड्रॉ से पूर्व पंजीकरण धनराशि वापसी के संबंध में उपाध्यक्ष, बुलन्दशहर-खुर्जा विकास प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा।	7.10	Under normal circumstances, the registration fee shall not be refunded prior to the lottery draw. The decision of the Vice-Chairman, Bulandshahr-Khurja Development Authority, regarding the refund of the registration fee prior to the draw shall be final.
7.20	यदि किसी आवेदक द्वारा आवंटित भवन का समर्पण आवंटन तिथि के 03 माह के अन्दर किया जाता है तथा नियम व शर्तों का उल्लंघन नहीं करता है, तो उस स्थिति में पंजीकरण राशि की 50 प्रतिशत धनराशि कटौती कर शेष धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी। धनराशि वापसी हेतु समस्त मूल प्रपत्र एवं मूल रसीद प्राधिकरण कार्यालय में देनी होंगी।	7.20	If an applicant surrenders an allotted building within three months from the date of allotment, provided there is no violation of the terms and conditions, 50 percent of the registration amount shall be deducted, and the remaining balance will be refunded without interest. To claim the refund, all original documents and the original receipt must be submitted to the Authority's office.
7.30	यदि किसी आवेदक द्वारा आवंटित भवन का समर्पण आवंटन तिथि के 03 माह के अन्दर किया जाता है एवं नियम व शर्तों के उल्लंघन करता है, तो पूर्ण पंजीकरण धनराशि जब्त कर ली जायेगी और शेष धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी।	7.30	If an applicant surrenders an allotted building within three months of the date of allotment, and violates the terms and conditions, the entire registration amount shall be forfeited, and the remaining amount shall be refunded without interest.
7.40	आवंटन/तिथि से 03 माह के पश्चात् किसी भी प्रकार के समर्पण/निरस्तीकरण की दशा में सम्पूर्ण पंजीकरण धनराशि जब्त कर ली जाएगी और शेष धनराशि यदि कोई हो तो बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी।	7.40	In the event of any surrender or cancellation occurring 03 months after the date of allotment, the entire registration amount shall be forfeited, and the remaining amount—if any—shall be refunded without interest.
7.50	यदि आवंटी कब्जे की निर्धारित तिथि तक भवन का कब्जा नहीं लेता है तो रू0 1,000/- प्रतिमाह चौकीदारी शुल्क देय होगा तथा 3 माह तक कब्जा न लेने पर आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा एवं धारा 7.40 के अनुसार कटौती कर शेष धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी।	7.50	If the allottee fails to take possession of the building by the stipulated date for possession, a watch and ward fee of ₹1,000/- per month shall be payable; furthermore, if possession is not taken within three months, the allotment shall be cancelled, and, subject to deductions made in accordance with Clause 7.40, the remaining amount shall be refunded without interest.
7.60	किश्तों पर आवंटित भवनों में लगातार तीन किश्तों के डिफाल्ट होने पर उपाध्यक्ष, बुलन्दशहर-खुर्जा विकास प्राधिकरण को आवंटित भवन का आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा। लगातार 06 किश्तों के डिफाल्ट होने पर आवंटित भवन का आवंटन स्वतः निरस्त माना जायेगा।	7.60	In the case of buildings allotted on an installment basis, the Vice-Chairman of the Bulandshahr-Khurja Development Authority shall have the authority to cancel the allotment of the building upon a default on three consecutive installments. Upon a default on six consecutive installments, the allotment of the building shall be deemed automatically cancelled.
7.70	एक मुश्त भुगतान पर आवंटित भवन की देय धनराशि का भुगतान आवंटन पत्र में निर्दिष्ट तिथियों के पश्चात् 03 माह तक न किये जाने (डिफाल्ट) पर उपाध्यक्ष, बुलन्दशहर-खुर्जा	7.70	In the event of a default—specifically, the failure to pay the dues for an allotted building under the lump-sum payment scheme within three months

	विकास प्राधिकरण को आवंटित भवन का आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा। तीन माह व्यतीत हो जाने के उपरान्त अगले तीन माह तक धनराशि जमा न करने के पश्चात आवंटित भवन का आवंटन स्वतः निरस्त माना जायेगा।		following the dates specified in the allotment letter—the Vice-Chairman of the Bulandshahr-Khurja Development Authority shall have the right to cancel the allotment of the said building. Furthermore, if the dues remain unpaid for an additional three months following the expiration of the initial three-month period, the allotment of the building shall be deemed automatically cancelled.		
8.00	कोटा	8.00	Quota		
8.10	शासनादेश के अनुसार निम्नानुसार आरक्षण सुविधा दी जायेगी।	8.10	Reservation will be provided as per the Government Order.		
क्र०सं०	स्थान	कोटा	S.No.	Location	Quota
1	अनुसूचित जाति	21%	1	Scheduled Caste	21%
2	अनुसूचित जन जाति	2%	2	Scheduled Tribe	2%
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	27%	3	Other Backward Class	27%
4	रक्षा कार्मिक एवं सरकारी कर्मचारी जिनकी आयु 50 वर्ष से अधिक हो (क) रक्षा कार्मिक (ख) सरकारी कर्मचारी	5%	4	Defense personnel and government employees above 50 years of age (a) Defense personnel (b) Government employees	5%
5	(क) स्वतन्त्रता सेनानी (ख) सांसद सदस्य, विधानसभा/विधान परिषद सदस्य	5%	5	(a) Freedom fighters (b) Members of Parliament, Legislative Assembly/Legislative Council	5%
6	(क) उ०प्र० विकास प्राधिकरण कर्मचारी (ख) सिटी बोर्ड कर्मचारी (ग) उ०प्र० नगर निगम कर्मचारी/स्थानीय निकाय (घ) उ०प्र० जल संस्थान कर्मचारी (ङ) उ०प्र० हाउसिंग बोर्ड कर्मचारी (च) उ०प्र० नगर एवं नियोजन के कर्मचारी (उ०प्र० नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के वे कर्मचारी सम्मिलित होंगे जिन्होंने कम से कम 10 वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हो) (छ) आवास बन्धु उ०प्र० के कर्मचारी (आवास बन्धु उ०प्र० के वे कर्मचारी सम्मिलित होंगे जिन्होंने कम से कम 2 वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हो)	2%	6	(a) UP Development Authority employees (b) City Board employees (c) UP Municipal Corporation employees/local bodies (d) UP Jal Sansthan employees (e) UP Housing Board employees (f) UP Town and Country Planning employees (including employees of the UP Town and Country Planning Department who have completed at least 10 years of continuous service) (g) UP Awas Bandhu employees (including employees of UP Awas Bandhu who have completed at least 2 years of continuous service)	2%
7	भूतपूर्व सैनिक एवं उनके आश्रित	3%	7	Ex-servicemen and their dependents	3%
8.20	क्षैतिज आरक्षण	8.20	Horizontal Reservation		
1	विकलांग आवेदकों को शासनादेश संख्या 55/आठ-1-18-185विविध/2010 दिनांक 15.05.2018 के अनुसार कुल घोषित भवनों की संख्या का 05 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जायेगा। विकलांग आवेदकों को विकलांग होने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।	1	In accordance with Government Order No. 55/8-1-18-185-vividh/2010 dated 15.05.2018, applicants with disabilities shall be provided a horizontal reservation of 05% of the total number of declared buildings. Applicants with disabilities are also required to submit a certificate of disability.		

2	वरिष्ठ नागरिकों को कुल घोषित भवनों की संख्या का 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जायेगा। ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को वरिष्ठ नागरिक होने से संबंधी आयु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। वरिष्ठ नागरिकों से तात्पर्य यह है कि आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को वरिष्ठ नागरिकों की आयु न्यूनतम 60 वर्ष होनी चाहिए।	2	Senior citizens will be granted horizontal reservation of 10% of the total declared number of flats. Such senior citizens will be required to submit a certificate of age and the reserved quota code in the application form. Senior citizens mean that they must be at least 60 years of age on the last date of receipt of applications.
3	विकलांग अथवा वरिष्ठ नागरिक होने का सक्षम अधिकारी से जारी प्रमाण पत्र संलग्न न किये जाने की दशा में आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा और ड्रा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।	3	If a certificate from the competent authority certifying disability or senior citizen is not attached, the application will be rejected and the applicant will not be included in the draw.
9.00	सामान्य आवेदक	9.00	General Applicants
	आरक्षित श्रेणी के आवंटन के पश्चात शेष भवनों का आवंटन सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत पंजीकृत आवेदकों के मध्य नियम 10.00 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।		After allotment to the reserved category, the remaining flats will be allocated to applicants registered under the general category according to the procedure set out in Rule 10.00.
10.00	ड्रॉ प्रक्रिया	10.00	Draw Process
10.10	योजना का लॉटरी ड्रॉ लगभग तीन माह में किया जाना प्रस्तावित है।	10.10	The lottery draw for the scheme is proposed to be held in approximately three months.
10.20	योजना के ड्रॉ के समय उपस्थित रहने के इच्छुक आवेदकों की उपस्थिति में मैन्यूअल प्रक्रिया द्वारा ड्रॉ निकालकर भवन का आवंटन किया जायेगा। लॉटरी की तिथि एवं स्थान की सूचना व्यक्ति विशेष को अलग से नहीं दी जायेगी। उक्त सूचना का प्रकाशन समाचार पत्रों/वेबसाइट के माध्यम से किया जायेगा। किसी भी आवेदक द्वारा किसी भवन विशेष हेतु कोई भी दावा स्वीकार नहीं होगा।	10.20	Flats will be allocated through a manual draw in the presence of applicants willing to be present at the scheme draw. No individual will be notified of the date and place of the lottery. This information will be published through newspapers and the website. No claim by any applicant for a specific flats will be accepted.
11.00	असफल आवेदक	11.00	Unsuccessful Applicants
11.10	जिन आवेदकों को भवन आवंटित नहीं हो पाते हैं और जिनकी राशि एक वर्ष से कम अवधि के लिए बुलन्दशहर-खुर्जा विकास प्राधिकरण के पास जमा है उन्हें पंजीकरण राशि बिना ब्याज के वापिस कर दी जायेगी।	11.10	Applicants who are not allotted a flats and whose amount has been deposited with the Bulandshahr-Khurja Development Authority for less than one year will have their registration amount refunded without interest.
11.20	यदि प्राधिकरण द्वारा इस योजना का ड्रा पंजीकरण की अंतिम तिथि के एक वर्ष के अन्दर कर लिया जाता है तो जमा पंजीकरण राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। यदि ड्रा एक वर्ष पश्चात किया जाता है तो पंजीकरण की तिथि से ड्रा की तिथि तक 3.5 प्रतिशत साधारण ब्याज देय होगा।	11.20	If the draw for this scheme is conducted by the Authority within one year of the registration deadline, no interest will be payable on the deposited registration amount. If the draw is conducted after one year, simple interest at the rate of 3.5% will be payable from the date of registration to the date of the draw.
11.30	असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि आवेदक के बैंक खाते में एक माह के बाद ऑनलाईन द्वारा संबंधित बैंक की नोडल शाखा के माध्यम से वापस कर दी जायेगी।	11.30	For unsuccessful applicants, the registration amount will be refunded to the applicant's bank account after one month, either online or by bank draft/check through the nodal branch of the concerned bank.
12.00	मिथ्या अभ्यावेदन अथवा तथ्यों का छुपाना	12.00	False Representation or Concealment of Facts
	यदि यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा गलत सूचनाएं दी गयी हैं अथवा उसने किन्हीं वास्तविक तथ्यों को छुपाया है तो पंजीकरण के साथ-साथ भवन का आवंटन आवेदक को बिना बताये निरस्त कर दिया जाएगा तथा उसे भविष्य में होने वाले ड्रा से वंचित कर दिया जायेगा एवं पंजीकरण राशि को जब्त कर लिया जायेगा।		If it is found that the applicant has provided false information or has concealed material facts, the registration along with the allotment of the house will be cancelled without notice to the applicant, and the applicant will be disqualified from future draws, and the registration amount will be forfeited.
13.00	कब्जा	13.00	Possession
13.10	इस योजना में भवन का कब्जा किशतों में आवंटन लिये जाने पर निर्धारित मूल्य का 25 प्रतिशत धनराशि एवं लीज किराया	13.10	In this scheme, if the allotment is made in installments, the possession of the flats will be

	जमा कराने के उपरान्त अनुबन्ध-विलेख पंजीयन के बाद दिया जायेगा एवं एक मुश्त में आवंटन लिये जाने पर सम्पूर्ण धनराशि एवं लीज किराया जमा कराने के उपरान्त पट्टा-विलेख कराने के उपरान्त दिया जायेगा। जिसका व्यय आवंटी द्वारा वहन किया जायेगा।		given after depositing 25 percent of the fixed price and lease rent and after registration of the agreement deed. And if the allotment is made in lump sum, the possession will be given after depositing the entire amount and lease rent and after getting the lease deed done. The expenses of which will be borne by the allottee.
13.20	प्राधिकरण द्वारा भवनों का कब्जा विकास कार्य पूर्ण होने पर दिया जायेगा, जिसे पूरा होने में लगभग 06 माह का समय लगना सम्भावित है।	13.20	The possession of the flats will be given by the Authority after completion of the development work, which is likely to take approximately 06 months to complete.
13.30	आवंटी को समय-समय पर लागू होने वाले समस्त म्यूनिसिपल कर एवं अन्य कर जो स्थानीय निकाय या भारत सरकार/उ0प्र0 सरकार द्वारा नियम एवं उपनियम के अन्तर्गत लगाये जाते हैं, का भुगतान कब्जा लेने की तिथि से समय पर जमा करना होगा।	13.10	The allottee will be required to pay all applicable municipal taxes and other taxes from time to time, as levied by the local body or the Government of India/Government of Uttar Pradesh under the rules and regulations, on time from the date of taking possession.
13.40	आवंटी को विद्युत कनेक्शन व पानी का कनेक्शन सम्बंधित विभागों से अपने खर्च पर स्वयं लेने होंगे।	13.20	The allottee will have to obtain electricity and water connection from the concerned departments at his own expense.
14.00	विक्रय पद्धति	14.00	
	भवनों का आवंटन लीजहोल्ड आधार पर किया जायेगा। लीजहोल्ड अधिभार/लीजरेंट भूमि मूल्य की 10 प्रतिशत धनराशि पट्टा-अनुबन्ध/ पट्टा-विलेख से पूर्व देय होगी।		The flats will be allotted on a leasehold basis. A leasehold surcharge/lease rent of 10 percent of the land value will be payable before the lease agreement/lease deed.
15.00	पट्टा विलेख	15.00	Lease Deed
	आवंटी को समस्त मूल्य जमा कराने के उपरान्त 3 महीने के अन्दर समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराकर अपने खर्च पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रारूप में पट्टा-अनुबन्ध/पट्टा-विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा प्राधिकरण द्वारा तत्समय की गई दण्डात्मक कार्यवाही आवंटी को मान्य होगी।		After depositing the entire amount, the allottee will be required to complete all formalities within three months and execute and register the lease deed in the format prescribed by the Authority at his own expense. Otherwise, any punitive action taken by the Authority at that time will be binding on the allottee.
16.00	भवनों का प्रयोग	16.00	Use of Flats
16.10	आवंटी द्वारा भवनों का प्रयोग केवल आवासीय प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा।	16.10	The allottee will use the flats only for residential purposes.
17.00	अन्य महत्त्वपूर्ण सूचनाएं	17.00	Other Important Information
17.10	आवंटन तक इस योजना की किसी भी शर्त में संशोधन का अधिकार उपाध्यक्ष, बुलन्दशहर-खुर्जा विकास प्राधिकरण को होगा तथा ऐसे संशोधन आवेदकों/आवंटियों को मान्य होंगे।	17.10	The Vice Chairman, Bulandshahr-Khurja Development Authority reserves the right to amend any condition of this plan until allotment, and such amendments will be binding on the applicants/allottees.
17.20	इस योजना से संबंधित प्रत्येक मामले पर उपाध्यक्ष, बुलन्दशहर-खुर्जा विकास प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा।	17.20	The decision of the Vice Chairman, Bulandshahr-Khurja Development Authority will be final on all matters related to this plan.
17.30	किसी भी विवाद की दशा में न्यायालय बुलन्दशहर को ही अधिकार क्षेत्र प्राप्त होगा।	17.30	In case of any dispute, the Court of Bulandshahr will have jurisdiction.
17.40	भवनों की सार्वजनिक सुविधाओं यथा पानी, बिजली, लिफ्ट, प्रकाश व्यवस्था आदि के रख-रखाव का कार्य प्राधिकरण द्वारा प्रथम फ्लैट के कब्जे की तिथि से 02 वर्ष तक किया जाना प्रस्तावित है। उक्त अवधि के अन्दर आवंटियों को एशोसिएसन का गठन अनिवार्य रूप से करना होगा एवं इसके उपरान्त प्राधिकरण द्वारा उक्त सुविधाओं के रख-रखाव हेतु भवनों को एशोसिएसन को हस्तान्तरण कर	17.40	It is proposed that the Authority shall undertake the maintenance of public amenities within the buildings—such as water supply, electricity, lifts, lighting systems, etc.—for a period of 02 years commencing from the date of handover of the first flat. During this stipulated period, it shall be mandatory for the allottees to form an Association; subsequently, the Authority shall transfer the buildings to the said Association for the purpose of

	दिया जायेगा। प्रत्येक आवंटी को सोसाईटी का सदस्य बनना अनिवार्य होगा।		maintaining the aforementioned amenities. It shall be mandatory for every allottee to become a member of the Society.
17.50	भवन का रजिस्टर्ड पट्टा-अनुबन्ध/पट्टा-विलेख निष्पादित कराने में स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क एवं अन्य किसी शुल्क का भुगतान आवंटी द्वारा वहन किया जायेगा। आवंटी द्वारा अचल सम्पत्ति को हस्तान्तरित करने का शुल्क राज्य सरकार, नगर निगम या अन्य कोई शुल्क/अनुरक्षण प्रभार जो किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा आरोपित किया जायेगा, स्वयं भुगतान करना होगा।	17.50	The stamp duty, registration fee and any other fee for executing the registered lease agreement/lease deed of the flats will be borne by the allottee. The fee for transfer of immovable property, any fee/maintenance charge levied by the State Government, Municipal Corporation or any other fee/maintenance charge levied by any competent authority, will have to be paid by the allottee himself.
18.00	अनुरक्षण प्रभार	18.00	Maintenance Charges.
18.10	जब तक प्राधिकरण द्वारा योजना की सार्वजनिक सुविधाओं यथा पानी, बिजली, लिफ्ट, प्रकाश व्यवस्था आदि का हस्तान्तरण एसोसिएशन/नगर पालिका को नहीं हो जाता है, तब तक अनुरक्षण शुल्क रु०-10.00 प्रति वर्गमीटर प्रतिमाह (बिल्ट अप एरिया पर) आवंटियों से लिया जायेगा।	18.10	Until the Authority transfers the scheme's public utilities, such as water, electricity, lifts, lighting, etc., to the Association/Municipal Corporation, a maintenance charge of Rs. 10.00 per square meter per month (based on the built-up area) will be collected from the allottees.
18.20	वृहद एवं आक्समिक कार्यों हेतु धनराशि रु० 80,000/- पट्टा-अनुबन्ध/पट्टा-विलेख से पूर्व कॉरपस फण्ड में जमा करानी होगी।	18.20	For major and unforeseen works, the allottee shall be required to deposit a sum of Rs. 80,000/- into the Corpus Fund prior to the execution of the Lease Agreement/Lease Deed.
18.30	सुविधाओं के हस्तान्तरण होने के उपरान्त कॉरपस फण्ड में उपलब्ध अवशेष धनराशि आर०डब्लू०ए०/अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन को प्राधिकरण द्वारा हस्तगत कर दी जायेगी।	18.30	Following the transfer of amenities, the residual balance available in the Corpus Fund shall be handed over by the Authority to the RWA/Apartment Owners Association.

कालिंदी टॉवर – इकाईवार क्षेत्रफल एवं मूल्य का विवरण

क्र० सं०	योजना का नाम	सम्पत्ति श्रेणी	सम्पत्ति का प्रकार	भवनों की संख्या	कारपेट एरिया (वर्ग मी०)	अनुमानित मूल्य	राज्य सरकार द्वारा घोषित आरक्षित श्रेणी हेतु पंजीकरण धनराशि	अन्य सभी आवेदकों हेतु पंजीकरण धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kalindi Tower	3BHK	Type-I	14	97.13	91,75,000 / -	4,58,750 / -	9,17,500 / -
2			Type-II	28	92.12	87,01,000 / -		
3		2BHK	Type-I	14	77.02	72,75,000 / -	3,63,750 / -	7,27,500 / -
4			Type-II	14	72.38	68,37,000 / -		